न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 133 / 2019

थानसिंह सिनसिनवार निवासी गांव तिलचिवी, पोस्ट हलैना, तहसील वैर जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार ,वैर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 21.01.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि थानसिंह सिनसिनवार निवासी गांव तिलचिवी, पोस्ट हलैना, तहसील वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 06.11.2019 के द्वारा तहसीलदार ,वैर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, वैर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 1123 दिनांक 26.12.2019 से तहसीलदार ,वैर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ,वैर से उनके पत्रांक 78 दिनांक 13.01.2020 से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार ,वैर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार ,वैर से वांछित सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार , वैर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी को पत्र क्रमांक / एलआर / 19 / 2667 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई है किन्तु अपने जबाव की पुष्टि में उक्त पत्र की प्रति अपने जबाव के साथ संलग्न नहीं की गई है। तहसीलदार ,वैर से प्राप्त जबाव पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। प्रतीत होता है कि तहसीलदार वैर ने अपीलांट को स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार

,वैर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार ,वैर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.14 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: